भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2840

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए अनुकूलन उपाय

2840. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुडुचेरी सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अत्यधिक मानसूनी वर्षा, बाढ़ और गाद के कारण फसल और कृषि भूमि को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कवरेज, आदान राजसहायता के प्रावधान, अनुकूल बीज किस्मों के वितरण, मृदा बहाली कार्यक्रमों और प्रभावित जिलों में फिर से बुआई के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जलवायु-अनुकूल कृषि पहलों का विस्तार करने, जल शक्ति मंत्रालय के साथ बाढ़ प्रबंधन समन्वय को मजबूत करने और अनुकूल कृषि पद्धतियों पर जागरूकता अभियान शुरू करने का है; और

(घ) देशभर में अत्यधिक वर्षा और संबंधित आपदाओं के विरुद्ध किसानों को समय पर मुआवजा, आजीविका सुरक्षा और दीर्घकालिक अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): राहत सामग्री के संवितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं, जिनमें चक्रवात और बाढ़ भी शामिल है, की स्थिति में प्रभावित लोगों को भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के मूल्यांकन पर आधारित होती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मुआवजे के रूप में न होकर राहत के रूप में प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत फंड के आवंटन/जारी किए जाने का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/responsefund

दिनांक 05.03.2026 तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना (बाढ़ के लिए), तेलंगाना (चक्रवात के लिए), महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात के कारण हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए 14 आईएमसीटी का गठन किया गया है। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित प्रक्रिया और मानदंडों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

सरकार द्वारा खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) **और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित** मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) **आरंभ की गई है ताकि** प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और किसानों की आय को स्थिर किया जा सके।

पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल के नुकसान को कम करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों/और चरम जलवायु आपदाओं जैसे बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/बीमारियां, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, आंधी, टेम्पेस्ट, बवंडर आदि के कारण होने वाली व्यापक उपज हानि के लिए सुरक्षा उपाय करती है बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग) के कारण खेत स्तर तक की उपज हानि तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा स्थगित बुआई के कारण फसल उपरांत होने वाले नुकसान के लिए भी सुरक्षा उपाय प्रदान करती है।

यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के तहत नामांकन करने के पात्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी ने इस योजना को लागू करने का विकल्प चुना है।

सरकार ने पीएमएफबीवाई के तहत योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) **को डेटा के एकल स्त्रोत के रूप में** विकसित किया है ताकि सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना शामिल है, जिसमें किसानों का प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करना और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में दावा राशि का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरण सुनिश्चित किया जा सके है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल का संचालन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकरण शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से कार्रबाई की जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो एनसीआईपी के माध्यम से स्वत: गणना करके 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाता है।

- राज्य सरकारों से प्रीमियम सब्सिडी के केन्द्र सरकार के हिस्से को अलग करने का कार्यान्वयन किया गया है ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा एस्क्रो खाता खोलना खरीफ 2025 की सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करने तथा इसे एनसीआईपी पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देने, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों को दावों के समय पर निपटान में सुधार किया जा सके।
- रबी 2024-25 से किस्त आधारित दावा निपटान शुरू किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक कृषि वानिकी घटक का कार्यान्वयन करता है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन पर केंद्रित है। कृषि वानिकी पेड़ों और मिट्टी में कार्बन को अलग करके, वायुमंडलीय कार्बनडाइऑक्साइड के स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोककर, जल धारण में सुधार करके और स्थानीय तापमान को नियंत्रित करके भूमि की अनुकूलता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि वानिकी पारिस्थितिक तंत्र को सूखे और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं से बचाती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अनुकूलन दोनों के लिए एक प्रभावी कार्यनीति के रूप में कार्य करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को भी लागू करता है जो उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। आरएडी के तहत, फसलों/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि किसानों को न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि लाभ को अधिकतम करने में सक्षम बनाया जा सके, बल्कि सूखा, बाढ़ या अन्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को भी कम किया जा सके। आरएडी घटक के तहत प्रत्येक कृषक परिवार को उनकी भूमि के आकार पर ध्यान दिए बिना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि में जलवायु अनुकूलता को सुदृढ़ करने और देश भर में जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना लागू करती है। एनआईसीआरए द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उपाय हैं:

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 573 कृषि कृषि जिलों का जिला स्तरीय जोखिम और संवेदनशीलता मूल्यांकन किया गया था और किसान भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से किसानों के लिए जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील 151 जिलों में से प्रत्येक से एक गांव समूह में स्थान विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। जिला स्तर पर, केवीके, आशाजनक जलवायु अनुकूल पद्धतियों को बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के साथ समन्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं। गांव स्तर पर, ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियां (वीसीआरएमसी), कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), बीज बैंक और चारा बैंक, अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रसार में मदद करते हैं।

जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों जिनमें जलवायु अनुकूल किस्में, अनुकूल अंतरफसल प्रणाली, संरक्षण कृषि, धान से अन्य वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, कृषि वानिकी प्रणाली, जुताई रहित बुआई फसल, चावल की खेती के वैकल्पिक तरीके, हरी खाद, एकीकृत कृषि प्रणाली, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन, जैविक खेती, इन-सीटू नमी संरक्षण, सुरक्षात्मक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई आदि विकसित किए गए हैं तथा बड़ी संख्या में किसानों के समक्ष प्रदर्शित किए गए हैं।

अध्ययनों से संकेत यह पता चला कि बुआई के समय में परिवर्तन, कम अवधि में फसल उगाना, बेहतर पोषक तत्व और जल प्रबंधन कार्यनीतियों के साथ गर्मी, सूखा और बाढ़ सहिष्णु किस्मों से प्रमुख फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत में 651 जिलों के लिए विकसित जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं (डीएसीपी), जिसमें मौसम में परिवर्तन शामिल हैं, राज्य विभागों द्वारा उपयोग के लिए स्थान विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों और किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश करती हैं (https://agriwelfare.gov.in/en/DocAgriContPlan पर उपलब्ध)। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों और उनके अनुकूलन से संबंधित किसानों और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

बाढ़ प्रबंधन और रोधीक्षरण योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मूलक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक लागत पर बाढ़ क्षति से उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना है। केंद्र सरकार 4100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-26 के दौरान बाढ़ नियंत्रण, क्षरण-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" लागू करती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों को देश में बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ के मैदानी क्षेत्र एप्रोच को अपनाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई है। राज्यों को बाढ़ के प्रभावों को कम करने के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ के मैदानों और इसके क्षेत्र का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बाढ़ के मैदानों के क्षेत्र पर एक तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किया गया है और अगस्त, 2025 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

*****